न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 146/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 चुनाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाडखा तहसील बाडमेर 2 कुनणीदेवी पुत्री खुमाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी नगोणी धतरवालों की ढाणी बायतू तहसील बायतू 3 पेम्पो पुत्री खुमाराम पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी कपुरडी तहसील बाडमेर 4 चम्पादेवी पुत्री खुमाराम पत्नी चेतनराम जाति जाट निवासी पनोणी जाणियों की ढाणी तहसील बायतू जिला बाडमेर।	बनाम	1 खुमाराम पुत्र गुणेशाराम 2 माडुदेवी पत्नी गोधुराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 24.09.2019

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पूर्वज गुणेशराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 495 रकबा 133.07 बीघा, खसरा संख्या 817/538 रकबा 50.14 बीघा कुल रकबा 184.01 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि गुणेशाराम के नाम भूमि की पैमाईश के बाद दर्ज हुई। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खुमाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/10–1/10 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खुमाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का भी 1/10–1/10 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी सहखातेदार घोषित कर 1/10–1/10 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खुमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 व चालू जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 495 रकबा 133.07 बीघा, खसरा संख्या 817/538 रकबा 50.14 बीघा कुल रकबा 184.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खुमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.9.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 चुनाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाडखा तहसील बाडमेर 2 कुनणीदेवी पुत्री खुमाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी नगोणी धतरवालों की ढाणी बायतू तहसील बायतू 3 पेम्पो पुत्री खुमाराम पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी कपुरडी तहसील बाडमेर 4 चम्पादेवी पुत्री खुमाराम पत्नी चेतनराम जाति जाट निवासी पनोणी जाणियों की ढाणी तहसील बायतू जिला बाडमेर।	बनाम	1 खुमाराम पुत्र गुणेशाराम 2 माडुदेवी पत्नी गोधुराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

दावा बावत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 146 / 2019

निर्णय दिनांक :– 24.9.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 495 रकबा 133.07 बीघा, खसरा संख्या 817 / 538 रकवा 50.14 बीघा कुल रकबा 184.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खुमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 10–1 / 10 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 24.9.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan docx

Scanned by CamScanner